रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 1970/पौष 2, 1892

No. 207] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 1970/PAUSA 27, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 23rd December 1970

SUBJECT.—*Issue of Import Licences for Steel to Actual Users.*

No. 184-ITC(PN)/70.—Attention is invited to Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 140-ITC(PN)/70, dated September 11, 1970 as amended *vide* Public Notice No. 161-ITC(PN)/70 dated 3rd November, 1970. It is clarified that a unit can submit an application under the said Public Notice either under paragraph 2 or under paragraph 5 thereof, but not under both. In other words, exporting units can apply for import of 50 per cent of their actual consumption of steel items during 1969-70 (in terms of para 2 of the Public Notice) or for the full quantum of steel required for export production against firm export commitments.

2. Those who have already submitted applications under both paragraphs will be allowed import facilities against the provisions made under either of paragraph (2) or paragraph (5) of the above said Public Notice at their choice.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1970

विषय : वास्तविक उपभोक्ताओं को इस्पात के लिए आयात लाइसेंस जारी करना

सं० 184-आई० टी० सी० (पी एन)/70.—विदेश व्यापार मंत्रालय की यथा-संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 140-आई टी सी (पी एन)/70 दिनांक 11 सितम्बर, 1970 **देखिए** सार्वजनिक सूचना संख्या 161 आई टी सी (पी एन)/70 दिनांक 3-11-1970 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि एक एकक या तो उक्त सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत की कंडिका 2 के अन्तर्गत या उसकी कंडिका 5 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र जमा कर सकते हैं, किन्तु दोनों के अन्तर्गत नहीं। दूसरे शब्दों में, निर्यातक एकक 1969-70 (सार्वजनिक सूचना की कंडिका 2 की शर्तों के अनुसार) के दौरान की इस्पात मदों के अपने वास्तविक उपभोग के 50 प्रतिशत तक के आयात के लिए या फर्म निर्यात वचन-बद्धता द्वारा निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित इस्पात की पूरी मात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2. वे जिन्होंने दोनों कंडिकाओं के अन्तर्गत आवेदन पत्र पहले ही जमा कर दिये हैं, उन्हें उनकी इच्छा पर, ऊपर उल्लिखित सार्वजनिक सूचना की कंडिका 2 या 5 किसी के अन्तर्गत की गई व्यवस्थाओं के अनुसार आयात सुविधाएं दी जायेंगी।

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970